सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या – 565 राँची, शुक्रवार, 25 नवम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

19 अक्टूबर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-3/2015 का.-6568--श्री अनमोल कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-675/03), तत्कालीन उप परिवहन आयुक्त-सह-सचिव, संथाल परगना, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका, सम्प्रति- सेवानिवृत्त के विरूद्ध परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-426, दिनांक 07.03.2017 द्वारा दुमका बस समिति के अध्यक्ष एवं अन्य वाहन स्वामियों द्वारा लगाये गये आरोपों के आलोक में संयुक्त जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया ।

उक्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभाग स्तर पर श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र-'क') गठित किया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय, दुमका में बाहरी व्यक्ति मो0 हसनू से अवैतनिक एवं अवैध रूप से कार्य कराने, श्रावणी मेला हेतु अस्थायी परमिट की स्वीकृति पर जिन वाहन स्वामियों द्वारा परमिट उठाव हेतु शुल्क जमा नहीं किया गया, उन्हें एक बार भी कार्यालय द्वारा इस संबंध में नोटिस निर्गत नहीं करने, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक के पूर्व समय सारणी को वेबसाईट पर प्रकाशित नहीं करने और न ही सूचना पट्ट पर लगाने

एवं कार्यालय में अनधिकृत व्यक्तियों एवं बिचौलियों का अबाध प्रवेश कराने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10006, दिनांक 20.09.2017 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री सिंह के पत्रांक858/रा0, दिनांक 14.11.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक12195, दिनांक 14.12.2017 द्वारा परिवहन विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। परिवहन विभाग के पत्रांक-590/रा०, दिनांक 12.06.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें प्रतिवेदित किया गया कि श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि तत्कालीन संयुक्त सचिव एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में लगाये गये आरोपों के बचाव में उनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, अतः पूर्व के विभागीय प्रतिवेदनों के आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है ।

श्री सिंह के विरूद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर परिवहन विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०- 26866, दिनांक 18.11.2019 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-52, दिनांक 21.01.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के बचाव बयान को स्वीकार करते हुए प्रपत्र'क' में गठित आरोप का अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया ।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमत होते हुए श्री सिंह के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम43(ख) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 5% राशि की कटौती एक वर्ष तक करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया है ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-1782, दिनांक 21.03.2022 द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमति के बिन्दुओं को अंकित करते हुए इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी है। इसके अनुपालन में श्री सिंह के पत्र दिनांक 15.06.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित है ।

श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा कार्यालय में कर्मियों की कमी के संबंध में परिवहन विभाग एवं प्रमंडलीय आयुक्त को भी अवगत कराया गया था। इनके विरूद्ध राजस्व की क्षति से संबंधित कोई विशेष आरोप प्रतिवेदित नहीं है एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा भी इनके विरूद्ध एक भी आरोप को प्रमाणित नहीं किया गया है ।

समीक्षोपरांत, श्री अनमोल कुमार सिंह, तत्कालीन उप परिवहन आयुक्त-सह- सचिव, संथाल परगना, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दुमका द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए **आरोप मुक्त किया जाता है ।**

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अनमोल कुमार सिंह, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 565 – 50